UPRN010071652023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)

उपस्थित– रविन्द्र सिंह (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या–2094 सन् 2023

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

बनाम

1– अजय कुमार पुत्र प्रताप नारायण

2– सुभाष उर्फ कल्लू पुत्र हरीराम

निवासीगण रोहिनी, थाना सिकन्दरा, कानपुर देहात।

....अभियुक्तगण

मु०अपराध सं०–70/1996
धारा–307, 504 भा०दं०सं०
थाना–सिकन्दरा, जिला कानपुर देहात।

निर्णय

(1). प्रस्तुत सत्र परीक्षण विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात श्री प्राग दत्त शुक्ला द्वारा दिनांक–08.09.2023 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किये जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण अजय कुमार एवं सुभाष उर्फ कल्लू के विरूद्ध मु०अ०सं०–70/1996, अन्तर्गत धारा–307, 504 भा०दं०सं०, थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर देहात परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ है।

(2). संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दिनेश कुमार पुत्र श्री लखन लाल निवासी ग्राम रोहिनी थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर कानपुर देहात द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर दिनांकित 15.06.1996 प्रदर्श क–1 पुलिस अधीक्षक, कानपुर–देहात को इस आशय का दिया गया कि वह ग्राम रोहिनी थाना सिकन्दरा जिला कानपुर देहात का प्रधान हे। उसके छोटे भाई राजेश कुमार पुत्र लखन लाल निवासी ग्राम रोहिनी को गाँव के तीन व्यक्ति अजय कुमार पुत्र प्रताप नारायन, सुभाष उर्फ कल्लू पुत्र हरीराम व गोविन्द उर्फ बब्बू पुत्र जुगुल किशोर ने दिनांक 09.06.1996 को शाम 6.30 बजे दिलीप कटियार के दरवाजे पर घेर लिया। पकड़कर गाली–गलौज कर ईट पत्थर से मारा। राजेश कुमार के चिल्लाने पर गाँव के बहुत से लोग आ गये। गाँव वालों के आने पर इन व्यक्तियों में से

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.04.07 10:21:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अजय कुमार पुत्र प्रताप नारायन ने प्रार्थी के भाई राजेश कुमार को जान से मारने की नियत से एक हथगोला ऊपर मारा जो पास में खड़ंजे के ऊपर फट गया। प्रार्थी जब थाना सिकन्दरा रिपोर्ट लिखाने गया तो उसकी रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी। उपरोक्त तीनो व्यक्ति गाँव में सरेआम घूम रहे है जिससे ग्राम में अशांति व्याप्त है। अतः मामले की जाँच कराकर प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु थाना सिकन्दरा को आदेशित करे।

(3). उक्त हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क–1 पर पुलिस अधीक्षक के आदेश दिनांकित 19.06.1996 के आधार पर दिनांक 19.06.1996 को समय 10.00 बजे प्रातः चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर देहात में अभियुक्तगण अजय कुमार, सुभाष उर्फ कल्लू एवं गोविन्द उर्फ बब्बू के विरूद्ध मु०अ०सं०–70/1996 अन्तर्गत धारा–307, 504 भा०दं०सं० पंजीकृत की गयी जिसका खुलासा उसी दिन दिनांक–19.06.1996 को ही समय 10.00 बजे रोजनामंचाआम संख्या–16 प्रदर्श क–5 पर की गयी। बाद विवेचना विवेचक द्वारा मामला असत्य पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट संख्या–12 दिनांकित 24.06.1996 न्यायालय प्रस्तुत की गयी जिस पर वादी से आपत्ति आहूत की गयी। वादी दिनेश कुमार द्विवेदी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन प्रदर्श क–2 मय शपथपत्र प्रदर्श क–3 प्रस्तुत किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांकित 11.12.1997 के द्वारा उक्त अन्तिम रिपोर्ट अस्वीकार करते हुए अभियुक्तगण सुभाष, अजय एवं गोविन्द को धारा 307 व 504 भा०द०सं० के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया।

(4). पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विचारण अभियुक्त गोविन्द की मृत्यु हो गयी और उसके विरूद्ध मुकदमा उपशमित किया गया।

(5). विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.2023 को अभियुक्तगण अजय कुमार व सुभाष चन्द्र उर्फ कल्लू के विरूद्ध धारा–307/34, 504 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिसे पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर परीक्षण की मांग की।

(6). अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया गया है–

क्र० सं०	**साक्षीगण का नाम**	**साबित किये गये प्रपत्र**
1	अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा दिनेश कुमार	यह तथ्य का साक्षी है तथा इस साक्षी ने हस्तलिखित तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में, प्रोटेस्ट पिटीशन को प्रदर्श क–2 के रूप में एवं शपथपत्र को प्रदर्श क–3 के रूप में

		साबित किया है।
2	अभियोजन साक्षी संख्या–2 चुटहिल राजेश कुमार	यह तथ्य का साक्षी है।
3	अभियोजन साक्षी संख्या–3 सुनील कुमार	यह साक्षी औपचारिक साक्षी है और इस साक्षी ने मामले की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रूप में एवं कायमी जी०डी० को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है।
4	अभियोजन साक्षी संख्या–4 दिलीप कुमार कटियार	यह साक्षी तथ्य का साक्षी है।
5	अभियोजन साक्षी संख्या–5 गया प्रसाद	यह साक्षी तथ्य का साक्षी है।

(7). अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त दिनांक 05.02.2026 को अभियुक्तगण का पृथक–पृथक बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिये गये बयान को गलत दिया जाना बताया। अभियुक्तगण ने मुकदमा झूठा चलना बताते हुए कथन किया कि वादी मुकदमा के यहाँ कथित घटना के समय काम करते थे जो ग्राम प्रधान थे और किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष थे। दिनेश ने प्रतिद्वन्दी को चुनाव में वोट दिया था इसलिए चुनावी रंजिश के कारण झूठा फँसा दिया। कोई घटना नहीं हुई थी।

(8). बचाव पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

<u>अभियोजन पक्ष के मौखिक साक्षीगण की साक्ष्य का विवरणः–</u>

(9). **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 अरविन्द कुमार** वादी ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 09.06.1996 को शाम करीब 6.30 बजे दिलीप कटियार के दरवाजे की है। उसके गाँव के अजय कुमार पुत्र प्रताप नरायन, सुभाष उर्फ कल्लू पुत्र हरीराम व गोविन्द उर्फ बब्बो पुत्र जुगुल किशोर उससे व उसके परिवार से चुनावी रंजिश मानते थे। इसी रंजिश के कारण इन लोगों ने उसके छोटे भाई राजेश कुमार को घेरकर पकड़ लिया और गाली–गलौज करने लगे तथा ईट पत्थर से मारने लगे। उसके भाई राजेश के चिल्लाने पर गाँव के बहुत से लोग आ गये तो सुभाष और गोविन्द ने कहा कि मार दो साले को बच के जाने न पाये, जिस पर अजय कुमार ने राजेश को जान से मारने की नियत से

उस पर हथगोला फेंक दिया जो उसके ऊपर न गिरकर पास में ही खडंजे पर गिरा और फट गया, जिसके छर्रे राजेश को लगे और उसे चोटें आ गयी थी। आगे मुख्य परीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि इस घटना की रिपोर्ट लिखाने वह अपने भाई राजेश के साथ थाना सिकन्दरा गया किन्तु वहाँ उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया तब उसका मुकदमा लिखा गया। साक्षी के अनुसार इस मुकदमें के विवेचक ने मुल्जिमानों के प्रभाव में आकर अन्तिम आख्या न्यायालय प्रेषित कर दी थी जिस पर उसके द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलब किया गया। साक्षी ने तहरीरी प्रार्थना पत्र को बतौर प्रदर्श क–1, प्रोटेस्ट पिटीशन को बतौर प्रदर्श क–2 एवं शपथपत्र को बतौर प्रदर्श क–3 साबित किया है। घटना के संबंध में पुलिस ने उसका बयान लिया था।

(10). अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश कुमार जिसे मामले का चुटहिल साक्षी होना बताया गया है, ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 09.06.1996 समय करीब सायं साढ़े छह बजे की है। दिलीप कटियार के दरवाजे पर ट्रैक्टर ट्राली से गिट्टी उतारी जा रही थी। वह वहीं पर था। उसी समय अजय, सुभाष उर्फ कल्लू, गोविन्द उर्फ बब्बू एक साथ आये। अजय बम लिये हुये थे और दो लोग सुभाष उर्फ कल्लू व गोविन्द उर्फ बब्बू तमंचा लिये हुये थे, आकर गाली–गलौज करने लगे और उसे मारने पीटने लगे। जब वह चिल्लाया तो गाँव के कुछ लोग जो वहीं खड़े थे, आ गये तब उपरोक्त लोग वहाँ से भागे और अजय ने उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर बम फेंका जो उसे न लगकर उसके पास ही खडंजे पर गिर कर फट गया जिससे तेज धमाका हुआ। अभियुक्तगण ने ईट पत्थर भी चलाये थे। पत्थर की चोट भी उसे गर्दन में लगी थी जिससे वह घायल हो गया था। यह घटना अभियुक्तगण ने ग्राम प्रधानी के चुनाव की रंजिश में कारित की थी। इस घटना के बावत पुलिस ने उसका बयान लिया था। अभियुक्त अजय द्वारा फेंका गया बम यदि उसे लग जाता तो उसकी निश्चित ही मृत्यु हो जाती।

(11). अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 सुनील कुमार जो मामले के चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है, ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19.06.1996 को थाना सिकन्दरा में कांस्टेबिल मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी थाना कार्यालय में कार्यलेख पर था। उसी दिनांक को पेशी डाक पैड से एक किता तहरीरी प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना एवं बम फेंकने क बावत प्राप्त हुआ जिस पर एस०पी० कानपुर देहात एवं थानाध्यक्ष सिकन्दरा के आदेश के अनुक्रम में प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं०–70/1996 अन्तर्गत धारा 307, 504 भा०द०सं० विरूद्ध अजय आदि पंजीकृत किया था जिसका खुलासा जी०डी० नं०–16 समय 10.00 ए०एम० पर किया था। साक्षी ने चिक एफ०आई०आर० पर अपने हस्ताक्षर को साबित किया है। मूल जी०डी० कालावधि होने के कारण नष्ट की जा चुकी है। साक्षी ने

चिक एफ०आई०आर० को बतौर प्रदर्श क–4 व कायमी जी०डी० को बतौर प्रदर्श क–5 साबित किया है।

(12). अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 दिलीप कुमार कटियार ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह ग्राम रोहिनी का मूल निवासी है। वह अजय कुमार, सुभाष उर्फ कल्लू एवं गोविन्द उर्फ बब्बू व दिनेश कुमार को भली–भाँति जानता व पहचानता है। उसके घर के सामने आम रास्ता है जिस पर अब इण्टरलाकिंग खण्डंजा लगा है जबकि घटना के समय ईट का खण्डंजा लगा था। उसके घर के बाहर इसी आम रास्ते पर अजय कुमार आदि व दिनेश कुमार आदि के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें ईटा, पत्थर व हथगोला चलाये गये थे। घटना के समय वह महाराष्ट्र–बैजापुर मेला में खाजा बनाने का काम करता था। घटना दिनांक 09.06.1996 के शाम लगभग साढ़े छः बजे की है। इस घटना के होने के बाद उसके पिताजी श्रीलाल कटियार ने किसी से फोन कराकर उसे बतायी थी। बाद में अन्य कई लोगों ने भी घटना होने की बात उसे बतायी थी। उसके पिताजी घटना के समय घर पर ही मौजूद थे। यह बात भी उसके पिताजी ने उसे बतायी थी।

(13). अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 गया प्रसाद ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना करीब 29–30 वर्ष पुरानी है। समय लगभग शाम के 6 बजे का रहा होगा। राजेश कुमार, अजय कुमार, सुभाष, बब्बू चारों लोग उसके गाँव के निवासी है जिन्हें वह भली–भाँति जानता व पहचानता है। बब्बू की मृत्यु हो चुकी है। शेष लोग जीवित है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। उस समय/घटना के समय अजय कुमार, सुभाष व बब्बू ने राजेश कुमार को घेरकर मारापीटा था तथा शोर शराबा सुनकर वह भी घटनास्थल पर पहुँचा था। मारपीट में राजेश को हल्की चोटें आयी थी। इस घटना की रिपोर्ट दिनेश कुमार ने लिखायी थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी।

(13). अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

(14). अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक 09.06.1996 समय 6.30 बजे शाम की है और उस दिनांक को चुटहिल के भाई/वादी मुकदमा दिनेश कुमार की तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के छोटे भाई राजेश कुमार को गाली–गलौज ईट पत्थर से मारने तथा जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हथगोला फेंकने का तथ्य रखा गया है। मामले में विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के प्रभाव में आकर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जिस पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट

पिटीशन के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 307 व 504 भा०द०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया। साक्षियों द्वारा घटना के सम्बन्ध में बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा वादी मुकदमा ने अपने बयानों में घटना अभियुक्तगण द्वारा घटित किये जाने का साक्ष्य दिया है। अतः अभियुक्तगण के दोषसिद्धि की याचना की गयी है।

(15). अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित नहीं की गयी जिस कारण दौरान विवेचना घटना असत्य पाये जाने के आधार पर मामले के विवेचनाधिकारी द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी। अभियोजन द्वारा वादी के भाई को घटना में चोटें आने एवं हथगोले से निकले छर्रे के लगने से चोट आने का कथन किया गया है उसका कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियोजन साक्षीगण ने भी अपने बयानों में घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित न किये जाने का साक्ष्य दिया है। अभियुक्तगण को मारते पीटते किसी ने नहीं देखा है। अतः उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

(16). प्रस्तुत मामले में मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या घटना के दिनांक, समय व स्थान पर प्रस्तुत मामले के अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाई राजेश कुमार को गाली–गलौज कर ईट–पत्थर फेंककर मारापीटा तथा जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हथगोला फेंककर गम्भीर चोटें कारित की गयी?

(17). आपराधिक विधि में यह सुस्थापित विधिक सिद्धान्त है कि अभियोजन को अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित व साबित करना होगा। साक्षियों के सम्बन्ध में यह सुस्थापित विधि व्यवस्था है कि किसी भी तथ्य को मौखिक साक्षियों द्वारा साबित किया जायेगा। अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा वादी के भाई राजेश कुमार को गाली–गलौज देकर मारापीटा गया और जान से मारने की नियत उसके ऊपर हथगोला फेंका।

(18). इस मामले में उक्त तथ्य को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से तथ्य के कुल चार साक्षीगण परीक्षित कराये गये है, जिसमें साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने का कथन किया गया है। यह भी कथन किया है कि अभियुक्तगण सुभाष व गोविन्द के ललकारने पर अजय कुमार ने राजेश को जान से मारने की नियत से उस पर हथगोला फेंका था परन्तु वह हथगोला पास में खडंजे पर गिरा और फट गया जिसके छर्रे राजेश को लगे और उसे चोटें आयी थी। परन्तु प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया है कि घटना के दिनांक व समय पर वह अपने घर पर था। उसने कोई घटना नहीं देखी है। यद्यपि प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि बम मुल्जिम अजय कुमार ने मारा था। उसने दरोगा जी को घटनास्थल दिखाया था।

हथगोला फटने के बाद उसका मलवा घटनास्थल पर ही जल गया था। यह हथगोला खडंजे पर ही फटा था। जहाँ पर उसका भाई था उससे दो कदम की दूरी पर बम फटा था। परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट अथवा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी जिससे यह स्पष्ट हो कि कथित घटना के समय हथगोला फटने से चुटहिल को चोटें आयी जबकि उक्त साक्षी के कथनानुसार घटनास्थल दरोगा जी को दिखाया गया था। यदि उक्त साक्षी के इस कथन को सत्य मान लिया जाये कि बम मुल्जिम कुमार ने मारा था जिसके फटने से उसके छर्रे चुटहिल राजेश को लगे थे और उसे चोटें आयी थी परन्तु पत्रावली पर इस आशय की कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य को उक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 दिनेश कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–3 पर स्वीकार किया है कि उसके भाई की आयी चोटों का पुलिस ने कोई डाक्टरी मुआयना नहीं कराया था और न ही उसने व्यक्तिगत रूप से किसी सरकारी अस्पताल में अपने भाई राजेश का डाक्टरी मुआयना कराया था। इसी आशय का बयान पी०डब्लू०–2 राजेश कुमार जिसे घटना में चोट आना बताया गया है, ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–2 पर स्वीकार किया है कि थाने में उसकी चोट देखी गयी थी। उन्होंने उसका कोई मेडिकल नहीं कराया था।

(18.1). यद्यपि उक्त साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश कुमार ने प्रतिपरीक्षा में प्राईवेट अस्पताल में इलाज कराये जाने का कथन किया है परन्तु पत्रावली पर प्राईवेट अस्पताल में इलाज कराये जाने का कोई प्रपत्र/चिकित्सीय परीक्षण आख्या दाखिल नहीं किया गया और न ही अभियोजन द्वारा उक्त चिकित्सक साक्षी को न्यायालय में परीक्षित कराया है जिनके द्वारा उक्त साक्षी का इलाज कराये जाने का कथन किया गया है।

(19). अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कथित घटना के दिनांक व समय पर दिलीप कटियार के दरवाजे पर ट्रैक्टर ट्राली से गिट्टी उतारी जा रही थी। वह वहीं पर था। उसी समय अभियुक्तगण आये और गाली–गलौज कर मारने पीटने लगे। अजय ने उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर बम फेंका जो उस न लगकर उसके पास ही खडंजे पर गिर कर फट गया था जिससे तेज धमाका हुआ था। जब वह चिल्लाया तो गाँव के कुछ लोग जो वहीं खड़े थे, आ गये तब उपरोक्त लोग वहाँ से भाग गये। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि जिस समय गिट्टी उतारी जा रही थी उस समय दिलीप कटियार मौजूद थे। उनके अलावा गया प्रसाद कुशवाहा, देवी प्रसाद, चन्द्रभान व राम प्रकाश कटियार आदि लोग आ गये थे। पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा दिनेश कुमार ने भी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–2 पर कथन किया है कि राजेश ने ही उसे घटना देखने वाले लोगों के नाम दिलीप कटियार, गयाप्रसाद, चन्द्रभान आदि बताये थे। अभियोजन की ओर से दिलीप कुमार कटियार को बतौर पी०डब्लू०–4 एवं गया प्रसाद को बतौर पी०डब्लू०–5 परीक्षित कराया गया है।

(20). अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 दिलीप कुमार कटियार ने मुख्य परीक्षा में

ही स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना के समय वह महाराष्ट्र–बैजापुर मेला में खाजा बनाने का काम करता था। घटना के बावत उसके पिताजी श्री लाल कटियार ने फोन करके उसे बताया था। प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 09.06.1996 से दस दिन पूर्व वह महाराष्ट्र बैजापुर मेला चला गया था। उसने कोई घटना नहीं देखी है जो उसने सुना है वहीं बताया है। उसके पिता जी की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता जी ने दुबे और दीक्षितों के बीच झगड़ा होने की बात बतायी थी। उन्होंने यह नहीं बताया था कि झगड़ा किनके–किनके बीच हुआ था। यद्यपि अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि दिनेश कुमार दुबे जाति के ब्राहमण है और अजय कुमार आदि दीक्षित जाति के ब्राहमण है। जब उसके पिताजी से फोन पर वार्ता हुयी थी तब पिता जी ने दिनेश कुमार व अजय कुमार आदि के नाम बताये थे। परन्तु उक्त साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है बल्कि सुनी–सुनायी बातों के आधार पर साक्षी ने बयान दिया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि नहीं होती है।

(21). अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 गया प्रसाद इस साक्षी को भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना बताया गया है, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। घटना के समय अभियुक्तगण ने राजेश कुमार को घेर कर मारापीटा था। शोर शराबा सुनकर वह भी घटनास्थल पर पहुँचा था। मारपीट में राजेश को हल्की चोटें आयी थी। परन्तु बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 09.06.1996 को वह अपने घर पर था। उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी, शोर शराबा हुआ था तब मौके पर पहुँचा था। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो लड़ाई बन्द हो चुकी थी। झगड़ा हो चुका था किसने किसको मारा, उसने नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार जब वह अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुँचा था तो दिनेश वहाँ पर नहीं था।

(21.1). उक्त साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी घटना घटित होने के पश्चात मौके पर पहुँचा था। उसने घटना होते हुए नहीं देखा। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से भी स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब वह मौके पर पहुँचा था तो झगड़ा हो चुका था किसने किसको मारा, उसने नहीं देखा था।

(22). इस प्रकार अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से जो तथ्य के साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि नहीं होती है। यह सुस्थापित विधि व्यवस्था है कि अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक है। पी०डब्लू०–1 दिनेश कुमार वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये कथनों पर विचार करें तो

स्वयं वादी मुकदमा के बयान से यह दर्शित होता है कि वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है बल्कि चुटहिल राजेश कुमार के बताने के आधार पर बयान दिया गया है। उक्त साक्षी के बयान से यह भी दर्शित होता है कि घटना के समय उक्त साक्षी गाँव का प्रधान था तथा किसान यूनियन का अध्यक्ष/कार्यकर्ता भी था। इसी आशय का कथन पी०डब्लू०–2 राजेश कुमार एवं पी०डब्लू०–5 गया प्रसाद ने भी बयानों में किया है कि वादी मुकदमा दिनेश कुमार घटना के समय ग्राम प्रधान थे और किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। अतः यह उपधारणा की जा सकती है कि गाँव के प्रधान होने के नाते अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभियोग दर्ज कराया गया है क्योंकि मामले में बाद विवेचना घटना असत्य पाये जाने के आधार पर विवेचनाधिकारी द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर बम फटने का न तो कोई रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, न ही चुटहिल/पी०डब्लू०–2 राजेश कुमार का कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है और न ही घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित कराया गया है तथा जिन स्वतंत्र साक्षीगण अर्थात पी०डब्लू०–4 दिलीप कुमार कटियार एवं पी०डब्लू०–5 गया प्रसाद को परीक्षित कराया गया है उनमें से पी०डब्लू०–4 दिलीप कुमार कटियार ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह घटना के समय महाराष्ट्र–बैजापुर में था और जो भी उसने बयान दिया है वह सुनी–सुनायी बातों के आधार पर बयान दिया है। पी०डब्लू०–5 गया प्रसाद ने अपने बयान में कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था तो लड़ाई बन्द हो चुकी थी, झगड़ा हो चुका था किसने किसको मारा, उसने नहीं देखा नहीं था। इसी प्रकार पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा दिनेश कुमार ने भी अपने बयानों में अभिकथित किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी है। घटना की रिपोर्ट भाई राजेश कुमार के कहने पर उसने लिखायी थी। इस प्रकार अभियोजन की ओर से जो तथ्य के साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है वे घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण नहीं है। यद्यपि पी०डब्लू०–2 राजेश कुमार ने अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उसके ऊपर जान से मारने की नियत से बम फेंके जाने तथा ईट पत्थर चलाये जाने से चोटें आने का कथन किया गया है परन्तु साक्षियों के बयान में आया है कि चुटहिल का न तो कोई चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और न ही पत्रावली पर कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–2 राजेश कुमार ने जिन साक्षियों के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा उस पर बम फेंकने का कथन किया गया है उन साक्षियों (पी०डब्लू०–4 दिलीप कुमार कटियार एवं पी०डब्लू०–5 गया प्रसाद) ने भी अपने बयानों में घटना के समय मौके पर उपस्थित रहने से इन्कार किया है।

(23). जहाँ तक पी०डब्लू०–3 सुनील कुमार के साक्ष्य का प्रश्न है। उक्त साक्षी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेखक है तथा औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी०डी० पर अपने हस्ताक्षर को साबित किया है। उक्त औपचारिक साक्षी के बयान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो।

(24). इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचना के उपरान्त मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित व साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण अजय कुमार एवं सुभाष उर्फ कल्लू को सत्र परीक्षण संख्या–2094/2023, सरकार बनाम अजय आदि, मु०अ०सं०–70/1996, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात में लगाये गये आरोप धारा–307/34, 504 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानतनामें व बन्ध पत्र जब्त कर जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण अजय कुमार एवं सुभाष चन्द्र उर्फ कल्लू प्रत्येक धारा–437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु०–20,000/–20,000/–रूपये का एक–एक जमानतनामा व इसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र अन्दर सप्ताह दाखिल करे।

दिनांक–06.04.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP2003

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–06.04.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।